

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.—407 / 2013

संस्थित दिनांक—29.05.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

कुलदीप पिता इन्दरसिंह सरदार, उम्र 42 वर्ष,

निवासी—रोहतक, थाना व तहसील रोहतक,

जिला—रोहतक (हरियाणा)

— — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक—24 / 11 / 2014 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध पशु कूरता निवारण अधिनियम की धारा—11(1)(क) (घ)(ड) म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा—11 सहपठित धारा—7 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—81/177 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—15.05.2013 को समय करीब 1:30 बजे ग्राम पौनी मेन रोड़, थाना मलाजखंड अंतर्गत 9 नग मुर्रा भैस एवं 8 नग मुर्रा भैस के बच्चों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार कर, यह जानते हुये या विश्वास रखते हुये कि उक्त पशुओं का वध किया जायेगा, का विक्रय या व्ययन करते हुये वाहन टाटा ट्रक क्रमांक—एच.आर.66/5680 को माल वाहन यान होते हुये उससे उक्त पशुओं का परिवहन किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—15.05.2013 के समय करब 13:30 बजे आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र उपाध्याय को आरक्षी केन्द्र प्रभारी मलाजखंड द्वारा मोबाईल से सूचना दी गई कि आरोपी द्वारा भैसों का अवैध परिवहन किया जा रहा है। उक्त सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक हमराह स्टाफ के साथ मौके पर गया तथा ट्रक को रोककर तलाशी लेने पर उक्त ट्रक में 09 नग भैस एवं 8 नग भैस के बच्चे सीमा से अधिक प्रताडित एवं असुरक्षित परिवहन करते हुये पाया गया। आरोपी से उक्त भैस, भैस के बच्चे एवं ट्रक जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—65/2013, धारा—11(1)(क)(घ)(ड) पशु कूरता निवारण अधिनियम, धारा—7 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं धारा—81/177

मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को पशु कूरता निवारण अधिनियम की धारा-11(1)(क)(घ)(ड) म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा-11 सहपठित धारा-7 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-81/177 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-15.05.2013 को समय करीब 1:30 बजे ग्राम पौनी मेन रोड़, थाना मलाजखंड अंतर्गत 9 नग मुरा भैस एवं 8 नग मुरा भैस के बच्चों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन टाटा ट्रक क्रमांक-एच.आर.66/5680 में 9 नग मुरा भैस एवं 8 नग मुरा भैस के बच्चे यह जानते हुये या विश्वास रखते हुये कि उक्त पशुओं का वध किया जायेगा, का विक्रय या व्ययन किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को माल वाहक यान होते हुये उससे उक्त पशुओं का परिवहन किया ?

#### विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— जुगल प्रसाद (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना पिछले वर्ष की है। घटना दिनांक को उसके घर पर हरियाणा से ट्रक में भैस आयी थी, जो रायपुर जाने वाले थे, जो उसके घर पर रूके थे। उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्यवाही हुई थी, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसके सामने एक ट्रक मय दस्तावेज के तथा 09 नग भैस व 08 नग भैस के बच्चे जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किय गया था, जबकि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 की कोई लिखापढ़ी नहीं हुई थी, उसने केवल हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार यह साक्षी पुलिस द्वारा उसके सामने एक ट्रक मय दस्तावेज के तथा 09 नग भैस

व 08 नग भैस के बच्चे जप्त करने का समर्थन करता है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी द्वारा जप्ती की लिखापढ़ी का समर्थन नहीं किये जाने से साक्षी की विश्वसनीयता भंग नहीं होती है। इस प्रकार साक्षी के कथन से जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का समर्थन अभियोजन पक्ष को प्राप्त होता है।

6— अब्दुल आरिफ जिलानी (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना पिछले वर्ष गर्मी के समय की है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिसवालों ने जान पहचान होने के कारण उसके हस्ताक्षर लिये थे। उसके समक्ष आरोपी से पुलिस ने कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

7— डाक्टर अरुण नेमा (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-16.05.2013 को पशु चिकित्सालय बिरसा में पशु चिकित्सक शल्यज्ञ के पद पर पदस्थ था। दिनांक-15.05.2013 को उसे पुलिस थाना मलाजखंड से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर उसके द्वार दिनांक-16.05.2013 को ग्राम पौनी जाकर 18 भैस एवं 17 भैस के बच्चों का परीक्षण किया गया था। उसने परीक्षण में उसने भैस को स्वस्थ एवं दुग्ध उत्पादन के लिये सक्षम होना पाया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने परीक्षण रिपोर्ट में किसी भी मवेशी को चोटिल अवस्था में पाये जाने अथवा उनके प्रति किसी प्रकार की क्रूरता कारित किये जाने का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है और न ही अपनी साक्ष्य में ऐसा तथ्य प्रकट किया है, बल्कि साक्षी ने कथित रूप से 18 भैस व 17 भैस के बच्चों का परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन को इस तथ्य के संबंध में कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है कि आरोपी ने जप्तशुदा मवेशियों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया।

8— अनुसंधानकर्ता राजेन्द्र कुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक-15.05.2013 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी ट्रक में पशु अवैध रूप से ले जा रहा है। उसके द्वारा उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ एवं सहायक उपनिरीक्षक अनिल यादव के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर 10 चक्का ट्रक 2515

क्रमांक-एच.आर.66/5680 को रोका गया तथा वाहन की तलाशी लेने पर ट्रक में 9 नग भैस एवं 8 नग भैस के बच्चे पाये गये, जिन्हें ट्रक में ठुस-ठुसकर सीमा से अधिक भरा गया था। उसके द्वारा घटना स्थल पर आरोपी से उक्त ट्रक मय दस्तावेज के तथा उक्त भैस एवं भैस के बच्चों को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा पशुओं को पशु चिकित्सक से विधिवत् परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्राप्त प्रकरण के साथ संलग्न किया गया है। उसके द्वारा थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षी जुगल, अब्दुल आरिफ उर्फ जग्गा के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। आरोपी द्वारा माल वाहक वाहन में उक्त वाहन में पशुओं का परिवहन किये जाने के कारण आरोपी के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम धारा-181/177 का ईजाफा किया गया था।

9- उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी कुलदीप के वाहन के अलावा एक और वाहन भी पकड़ा गया था तथा दोनों में एक जैसे पशुओं का परिवहन किया जा रहा था। साक्षी ने यह जानकारी न होना प्रकट किया है कि अन्य मामले में भी कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवेचना की गई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई जप्ती एवं अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

10- मामले में महत्पूर्ण साक्षी के रूप में जप्ती अधिकारी एवं अनुसंधानकर्ता राजेन्द्र कुमार (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी से मवेशियों की वाहन सहित जप्ती को प्रमाणित किया है। साक्षी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षी जुगल प्रसाद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित है।

11- मामले में आरोपी के विरुद्ध पशु कूरता अधिनियम के अपराध का आरोप है, किन्तु उक्त अपराध के संबंध में मात्र अनुसंधानकर्ता राजेन्द्र कुमार (अ.सा.2) ने यह साक्ष्य पेश की है कि आरोपी के द्वारा 9 नग भैस एवं 8 नग भैस के बच्चों मवेशियों को ट्रक में ठुस-ठुसकर सीमा से अधिक भरा गया था। जबकि जुगल प्रसाद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त ट्रक में सभी जानवरों को खड़े होने में असुविधा हो रही थी तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त मवेशी 10 चक्का ट्रक में आसानी से रह सकते हैं। चिकित्सीय साक्षी डाक्टर अरुण नेमा (अ.सा.4) ने अपने परीक्षण रिपोर्ट में किसी भी मवेशी को चोटिल अवस्था में पाये जाने अथवा उनके प्रति किसी प्रकार की कूरता कारित किये जाने का उल्लेख



अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है और न ही अपनी साक्ष्य में ऐसा तथ्य प्रकट किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी परिवहन किये जा रहे जप्तशुदा मवेशियों के प्रति कूरतापूर्ण व्यवहार कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में नहीं की है। अतएव मवेशियों के शरीर पर चोट के निशान एवं कूरता कारित किये जाने के कोई लक्षण के अभाव में मात्र 10 चक्का ट्रक में 09 नग भैस व 08 नग भैस के बच्चे के परिवहन करने के आधार पर यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने उक्त मवेशियों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया।

12— म.प्र. कृषिक परिरक्षण अधिनियम की धारा-7 के प्रावधान अंतर्गत कोई व्यक्ति भैसों के पाड़ा-पाड़ियों का वध के लिये या यह जानते हुये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि ऐसे पशुओं का वध किया जायेगा, न तो विक्रय करेगा या अन्यथा व्ययन करेगा और न उसका क्रय-विक्रय करने, या अन्यथा व्ययन करने की प्रस्थापना करेगा। अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र कुमार (अ.सा.2) एवं जुगल (अ.सा.1) की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी के द्वारा ट्रक में 09 नग भैस व 08 नग भैस के बच्चों का परिवहन किया जा रहा था, जिसका खण्डन उनकी साक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा उक्त पशुओं का परिवहन उपरोक्त वाहन में किये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है। म.प्र.कृषिक परिरक्षण अधिनियम की धारा-12 के प्रावधान अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के किसी विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि कृषिक पशु का वध, परिवहन या विक्रय इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं था। आरोपी के द्वारा परिवहन किये जा रहे मवेशी 09 नग भैस व 08 नग भैस के बच्चे उक्त अधिनियम के अंतर्गत कृषिक पशु की श्रेणी में आते हैं। अतएव यह साबित करने का भार आरोपी पर था कि उसके द्वारा उक्त कृषिक पशु का परिवहन अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं किया जा रहा था, उक्त प्रमाण भार को आरोपी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से अथवा साक्षियों के प्रतिपरीक्षण या बचाव साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित नहीं किया गया है।

13— आरोपी के द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा-81/177 के प्रावधान अंतर्गत वाहन टाटा ट्रक क्रमांक-एच.आर. 66/5680 को माल वाहक यान होते हुये उससे उक्त पशुओं का परिवहन किये जाने का तथ्य प्रमाणित है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। आरोपी ने उपरोक्त वाहन के पशुओं के परिवहन करने संबंधी अनुज्ञप्ति व परमिट को प्रस्तुत कर साक्ष्य के दौरान साबित नहीं किया है, जिसका प्रमाण भार आरोपी पर ही था। उक्त अपराध के बचाव में आरोपी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से साबित न किये जाने से यह उपधारणा की जा सकती है कि आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को मोटर यान अधिनियम की शर्त के अनुरूप वैध

परमिट प्राप्त कर अनुज्ञा सहित परिवहन किया जा रहा था।

14— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी के द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान में वाहन टाटा ट्रक क्रमांक-एच.आर.66/5680 में 9 नग मुर्रा भैस एवं 8 नग मुर्रा भैस के बच्चों को परिवहन के दौरान उनके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा था। अभियोजन युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन टाटा ट्रक क्रमांक-एच.आर.66/5680 में 9 नग मुर्रा भैस एवं 8 नग मुर्रा भैस के बच्चे यह जानते हुये या विश्वास रखते हुये कि उक्त पशुओं का वध किया जायेगा, का विक्रय या व्ययन किया गया तथा उपरोक्त वाहन को माल वाहक यान होते हुये उससे उक्त पशुओं का परिवहन किया गया। अतएव आरोपी को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा-11(1)(क)(घ)(ड) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर शेष अपराध म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा-11 सहपठित धारा-7 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-81/177 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

15— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

16— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उसके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

17— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को दोषसिद्ध अपराध के अंतर्गत निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:—

धारा	कारावास की सजा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में कारावास
म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा-11 सहपठित धारा-7	न्यायालय उठने तक की सजा	1000 / -	1 माह का सादा कारावास
मोटर यान अधिनियम की धारा-81 / 177	-	100 / -	2 दिन का सादा कारावास

18- आरोपी के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक-एच.आर.66 / 5680 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार महादेव पिता गौरीशंकर की ओर से आम मुख्तयार कुलदीप पिता इन्दरसिंह सरदार निवासी रोहतक थाना व जिला रोहतक हरियाणा को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, प्रकरण में शेष जप्तशुदा संपत्ति मवेशी 06 नग मुर्दा भैस एवं 05 नग भैस के बच्चे सुपुर्ददार राजकुमार पिता श्रीरामजी दास निवासी पेटिया रोड बोरसी थाना व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ तथा 03 नग मुर्दा भैस एवं 03 नग भैस के बच्चे सुपुर्ददार सुरेन्द्र पिता राजेन्द्रसिंह निवासी पेटिया रोड बोरसी थाना व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा सुपुर्ददारों के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट